२५/11/2024 आज पत्रावली पेश।

दुर्गा प्रसाद उपस्थित है।

विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलाशुदा होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल जिला लेखागार हो। निर्णय पढ़कर सुनाया लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (जिला खैरथल-तिजारा)

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल– तिजारा राज०

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद
(आर०ए०एस०)

राजस्व वाद संख्या – 106 / 19
तारीख दायर 16.05.2019
तारीख निर्णय –24 / 07 / 2024

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र श्री मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान ।

———वादी

// बनाम //

1. रामानन्द
2. रोहितास
3. जयभगवान पुत्रान श्री घीसाराम
4. मेवा पत्नी श्री घीसाराम
5. गोविन्दराम
6. सतीश पुत्रान श्री खेमचन्द
7. इमरती पत्नी श्री प्रेमचन्द
8. सुभाष
9. विनोद कुमार
10. कैलाशचन्द
11. दीपकराज पुत्रान श्री प्रेमचन्द
12. सुनिता पुत्री श्री प्रेमचन्द जातियान ब्राहाण निवासीयान बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
13. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
14. श्रीमान सबरजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

———प्रतिवादीगण

दावा– ईश्तकरारहक दुरुस्ती इन्द्राज बय हु० ई० दवामी अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थिति – श्री वस्तीराम यादव वकील वादी
श्री पृथ्वीसिंह यादव वकील तर० प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

// निर्णय //

आज यह पत्रावली पेश की गई। वादी के वकील को सुना तथा पत्रावली का अध्ययन किया। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि – आराजी हाल खसरा नम्बर 118 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 मे स्थित है जो आराजी उक्त वाद में विवादित आराजी कहलायेगी । नकल जमाबन्दी संलग्न है। आराजी हाल ख० नं० 118 साबिक ख० नं० 64 मिन से पैमूद हुआ है। ताईद में मिलान क्षेत्रफल संलग्न है। आराजी मुतनाजा वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ल० 12 के पूर्वज मूलचन्द पुत्र श्री रिछपाल के कब्जे काश्त की आराजी रही है। जिस पर अपने जीवनकाल में पिता मूलचन्द काबिज रहकर काश्त कार्य करते रहे है और उनके वृद्ध होने पर उनके जीवनकाल में ही वादी एवं प्रतिवादी हिस्सेनुसार काबिज होकर अपने अपने हिस्सों पर काश्त कार्य करते आज दिन तक चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी सम्भाग में 1/4 , 1/4 भाग पर मौके पर काबिज है शान्ति पूर्वक वादी अपने हिस्से 1/4 भाग पर काबिज है और बदस्तूर काश्त कार्य करता आ रहा है। एवं साबिक राजस्व रिकोर्ड में वादी के नाम आराजी प्रतिवादी के साथ दर्ज रही है। आराजी मुतनाजा खानदानी है और कदीमी वादी अपने हिस्से पर काबिज एवं दखिल रहा है। आज भी मौके पर वादी काबिज है परन्तू राजस्व कर्मचारियो ने खिलाफ मौका एवं खिलाफ कानून वादी का नाम एवं वादी का हिस्सा राजस्व रिकार्ड से हजफ कर दिया और आराजी को तीन हिस्सों में दर्ज कर दिया जबकि आराजी मुतनाजा समान चार भागों में विभाजित है मौके पर वादी एवं तीनो भाई खेमचन्द, प्रेमचन्द, धीसाराम के वारिसान भी अपने अपने 1/4 , 1/4 भाग पर काबिज है और वादी भी अपने 1/4 भाग पर काबिज एवं दखिल है। आराजी 'मुतनाजा की जमाबन्दी सम्वत् 2015 की तैयार करते समय वादी का नाम गैर कानूनी रूप से एवं अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वादी का नाम व हिस्सा हजफ कर दिया है। जबकि वादी अपने पिता श्री मूलचन्द के जीवनकाल से ही अपने पिता के कदमों पर अपने तीनो भाईयों के समान बराबर हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता रहा है। परन्तु राजस्व कर्मचारियो ने बेवजह अनाधिकार खिलाफ कानून वादी का नाम हजफ कर दिया। वर्तमान राजस्व रिकोर्ड से वादी कतई पाबंद नहीं है वादी प्रतिवादीगण के समान हक हकूक रखता है। मौके पर समभाग में काबिज है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये इन्द्राजात गैर कानूनी है ना काबिल पाबंदी है महज गलत इन्द्राज के कारण वादी के अधिकार जायल नहीं किये जा सकते हैं। वादी आराजी मुतनाजा में 1/4 भाग के खातेदारी अधिकार रखता है। एवं प्रतिवादी सं० 1 ल० 4 का 1/4 भाग, प्रतिवादी सं० 5 ल० 9 का 1/4 भाग, प्रतिवादी सं० 10 ल० 12 का 1/4 भाग है। वादी राजस्व रिकोर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने को मुश्तहक है। इसलिये आराजी मुतनाजा हाल ख० नं० 118 रकवा 2 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर में 1/4 भांग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादीगण के नाम वादी के हिस्से तक हजफ किये जाकर वादी के नाम का अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाये जायें एंव हाल जमावन्दी में बकास्त दर्ज किया है, उसे भी हजफ करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। उक्त बाद में विवादित आराजी मिन वादी की पैत्रिक आराजी है पिता के फौत होने के वाद विरासत में प्राप्त हुयी है मौके पर मिन वादी 1/4 भाग पर काबिज है काश्त करता आ रहा है जबकि

राजस्व कर्मचारियो ने गलत तरीके से मिन वादी का नाम छोड़कर प्रतिवादीगण के नाम उक्त आराजी का इन्द्राज कर दिया जो कानून और मौके के खिलाफ है। इसलिये मिन वादी 1/4 भाग पर राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है। मिन वादी दिनांक 30.04.2019 को अपनी आराजी को देखभाल करने गया तो प्रतिवादीगण ने एलानिया धमकी दी है कि उक्त आराजी का इंतकाल हमारे नाम दर्ज हैए और हम उक्त आराजी को दीगर जगह बेचान करेगें उक्त आराज़ी से तुम्हे बेदखल करेगें बस यही तारीक बिनायदावी बिनाय मुखासमत पैदा होकर दावा पेश करना लाजिम आया है।अगर प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन वादी को अजहद क्षति होगी जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है। इसलिये सुविधा का सन्तुलन और बैलेन्स ऑफ कन्वीनेन्स बहक वादी के पक्ष में है। इसलिये मिन वादी प्रतिवादीगण को हु० ई० दवामी से पाबंद कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं० 13 व 14 को दावा दायरी से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन प्रतिवादीगण आपस में साज बाज होकर उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने पर उतारू हैए जिस कारण दावा अरजेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस देना सम्भव नहीं है। दफा 80(2) जाप्ता दिवानी प्रार्थना पत्र संलग्न वाद है। यह करार दिया जावे कि आराजी ख० नं० हाल 118 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर में मिन वादी को 1/4 भाग का खातेदार घोषित किया जावें। एवं राजस्व रिकोर्ड में वादी के हिस्से तक प्रतिवादीगण के नाम कलमजन किये जाकर वादी के नाम का अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जावें। एंव हाल जमाबन्दी में मिन वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम बकास्त दर्ज किया है उसे भी हजफ करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। आदेश दिये जावें। प्रतिवादीगण को हु० ई० दवामी से पाबंद किया जावे कि उक्त विवादित आराजी में मिन वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा ना करे ना उक्त आराजी को दीगर जगह रहनए बैयए मुन्तकिल ना करे, मौका और रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। आदेश दिये जावें।

वाद पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को द्वारा सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगा0 12 ने अपना इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादी वादी डिक्री कर दिया जावे तो हमे कोई आपत्ति नही है। जो पत्रावली पर शामिल है।

वादी ने अपने वाद पत्र के संबंध मे मिलान क्षेत्रफल प्रदर्स – 01, नकल जमाबंदी संवत 2002 प्रदर्स – 02, नकल जमाबंदी संवत 2075 प्रदर्स – 03 नकल जमाबन्दी 2078 प्रदर्स – 04 नकल जमाबन्दी संवत 2074 प्रदर्स – 05 स्वयं का शपथ पत्र आदि पेश किये है। जो पत्रावल पर शामिल है।

हमने वादी के वकील की बहस सुनी जिसमे विद्धवान वकुलाम्र का कथन है कि आराजी मुतनाजा वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ल० 12 के पूर्वज मूलचन्द पुत्र श्री रिछपाल के कब्जे काश्त की आराजी रही है। जिस पर अपने जीवनकाल में पिता मूलचन्द काबिज रहकर काश्त कार्य करते रहे है और उनके वृद्ध होने पर उनके जीवनकाल में ही वादी एवं प्रतिवादी हिस्सेनुसार काबिज होकर अपने अपने हिस्सों पर काश्त कार्य करते आज दिन तक चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी सम्भाग में 1/4 , 1/4 भाग पर मौके पर काबिज है शान्ति पूर्वक वादी अपने हिस्से 1/4 भाग पर काबिज है और बदस्तूर काश्त कार्य करता आ रहा है। एवं साबिक राजस्व रिकोर्ड में वादी के नाम आराजी प्रतिवादी के साथ दर्ज रही है। आराजी मुतनाजा खानदानी है और कदीमी वादी अपने हिस्से पर काबिज एवं दखिल रहा है। आज भी मौके पर वादी काबिज है परन्तू राजस्व कर्मचारियो ने खिलाफ मौका एवं खिलाफ कानून वादी का नाम एवं वादी का हिस्सा राजस्व रिकार्ड

उप[illegible]कारी
मुण्डावर (अलवर-तिजारा)

से हजफ कर दिया और आराजी को तीन हिस्सों में दर्ज कर दिया जबकि आराजी मुतनाजा समान चार भागों में विभाजित है मौके पर वादी एवं तीनो भाई खेमचन्द, प्रेमचन्द, धीसाराम के वारिसान भी अपने अपने 1/4 , 1/4 भाग पर काबिज है और वादी भी अपने 1/4 भाग पर काबिज एवं दखिल है। आराजी मुतनाजा की जमाबन्दी सम्वत् 2015 की तैयार करते समय वादी का नाम गैर कानूनी रूप से एवं अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वादी का नाम व हिस्सा हजफ कर दिया है। जबकि वादी अपने पिता श्री मूलचन्द के जीवनकाल से ही अपने पिता के कदमों पर अपने तीनो भाईयों के समान बराबर हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता रहा है। परन्तु राजस्व कर्मचारियो ने बेवजह अनाधिकार खिलाफ कानून वादी का नाम हजफ कर दिया। वर्तमान राजस्व रिकोर्ड से वादी कतई पाबंद नहीं है वादी प्रतिवादींगण के समान हक हकूक रखता है। मौके पर सम्भाग में काबिज है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये इंन्द्राजात गैर कानूनी है ना काबिल पाबंदी है महज गलत इन्द्राज के कारण वादी के अधिकार जायल नहीं किये जा सकते हैं। वादी आराजी मुतनाजा में 1/4 भाग के खातेदारी अधिकार रखता है। एवं प्रतिवादी सं० 1 ल० 4 का 1/4 भाग, प्रतिवादी सं० 5 ल० 9 का 1/4 भाग, प्रतिवादी सं० 10 ल० 12 का 1/4 भाग है। वादी राजस्व रिकोर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने को मुश्तहक है। इसलिये आराजी मुतनाजा हाल ख० नं० 118 रकवा 2 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर में 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादीगण के नाम वादी के हिस्से तक हजफ किये जाकर वादी के नाम का अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाये जायें एंव हाल जमावन्दी में बकास्त दर्ज किया है, उसे भी हजफ करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। विद्ववान वकुलाय की बहस एवं सलंग्न दस्तावेजात मिलान क्षेत्रफल प्रदर्स – 01, नकल जमाबंदी संवत 2002 प्रदर्स – 02, नकल जमाबंदी संवत 2075 प्रदर्स – 03 नकल जमाबन्दी 2078 प्रदर्स – 04 नकल जमाबन्दी संवत 2074 प्रदर्स – 05 स्वयं का शपथ का अवलोकन किया गया । आराजी मुतनाजा समान चार भागों में विभाजित है मौके पर वादी एवं तीनो भाई खेमचन्द, प्रेमचन्द, धीसाराम के वारिसान भी अपने अपने 1/4 , 1/4 भाग पर काबिज है और वादी भी अपने 1/4 भाग पर काबिज एवं दखिल है। आराजी मुतनाजा की जमाबन्दी सम्वत् 2015 की तैयार करते समय वादी का नाम व हिस्सा हजफ कर दिया है। जबकि वादी अपने पिता श्री मूलचन्द के जीवनकाल से ही अपने पिता के कदमों पर अपने तीनो भाईयों के समान बराबर हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता रहा है। वादी प्रतिवादीगण के समान हक हकूक रखता है। मौके पर सम्भाग में काबिज है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये इन्द्राजात कारण वादी के अधिकार जायल नहीं किये जा सकते हैं। वादी आराजी मुतनाजा में 1/4 भाग के खातेदारी अधिकार रखता है। एवं प्रतिवादी सं० 1 ल० 4 का 1/4 भाग, प्रतिवादी सं० 5 ल० 9 का 1/4 भाग, प्रतिवादी सं० 10 ल० 12 का 1/4 भाग है। वादी राजस्व रिकोर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने को मुश्तहक है। प्रतिवादीगण ने वादी के वाद के समर्थन मे अपना इकबाल जवाब दिया है। इसलिये आराजी मुतनाजा हाल ख० नं० 118 रकवा 2 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर में 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादीगण के नाम वादी के हिस्से तक हजफ किये जाकर वादी के नाम का अमल दरामद किये जाना न्यायोचित है। एंव हाल जमाबन्दी में बकास्त दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। इस प्रकार वादी उपरोक्त संलग्न दस्तावेजात एवं प्रतिवादीगण के इकबाल जवाब एवं स्वयं के शपथ बयान वादी का वाद सिद्व होता है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर (राज.)

// आदेश //

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि आराजी मुतनाजा हाल ख० नं० 118 रकवा 2 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर में वादी को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादीगण के नाम वादी के हिस्से तक हजफ किये जाकर वादी के नाम का अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। एंव हालं जमाबन्दी में वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम बतौर बकास्त दर्ज है उसे हजफ किया जावे एवं राजस्व रिकॉड दुरुस्त जावे। इंसी कदर हाल भू अभिलेख को संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारीं हो।

आज दिनांक 24.07.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेन्द्र प्रसाद)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी मुंण्डावर